(4)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 024/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— प्रार्थी

बनाम

1. भगवानी पत्नी सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. रूघवीर पुत्र सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. मातुसिंह पुत्र सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. कल्याण सिह पुत्र सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. सीता पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
6. मीरा पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. जमना पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
8. माया पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
9. गब्बु पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
10. बाला पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
11. नब्बा पुत्री सरदारा, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
12. कमला पत्नी जगदीश, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
13. संतोष पुत्री जगदीश, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
14. विरेन्द्र पुत्र जगदीश, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— अप्रार्थीगण

——

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः—

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट— प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री द्वारका प्रसाद वर्मा, एडवोकेट— आज बावजू सूचना अनुपस्थित।
3. अप्रार्थीगण सं0 1, लगायत 12 व 14 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा कालीपहाडी, तहसील व जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074—2077 के खाता संख्या 300 के अनुसार ग्राम कालीपहाडी मे [illegible] 0.63 है0 किस्म बजड 2 की गैर खातेदारी सरदारा पुत्र रामदयाल, जाति [illegible] निवासी कालीपहाड़ी, तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं

व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड है:–

क्र. सं.	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक का नाम व विवरण
1	2012–2015	70	5बीघा 1 बिस्वा	बंजड द्वितीय	पन्ने सिह पुत्र जतन सिंह, नारायण सिंह पुत्र उमासिंह, जीतसिह पुत्र शैतान सिंह, राजपुत, सा0 भौडकी हिस्सा बराबर
2	2015–2018	70	5बीघा 1 बिस्वा	बंजड द्वितीय	सरकार
3	2017–2020	70	5बीघा 1 बिस्वा	बंजड द्वितीय	राजकीय
4	2021–2024	70	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	राजकीय
5	2025–2028	70/2	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
6	2029–2032	70/2	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
7	2033–2036	70/2	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
8	2042–2045	70/2	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
9	2046–2049	70/2	2 बीघा 10 बिश्वा	बंजड द्वितीय	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
10	2060–2063	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
11	2062–2065	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
12	2063–2066	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
13	2067–2070	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
14	2071–2074	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार
15	2074–2077	216	0.63 है0	बंजड 2	सरदारा पु0 रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गैर खातेदार

उक्त वर्णित भूमि जमाबंदी सम्वत् 2012–2015 से गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो बिना किसी कारण व आदेश के दर्ज हुई है जो गलत है। सार्वजनिक उपयोग की उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जा [illegible] नहीं है। इस प्रकार की भूमियों की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का [illegible] है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी [illegible] से उक्त विवादित भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं

जिला कलेक्टर झुंझुनूं

खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार की हक तलफी होगी, अपूर्तनीय क्षति होगी आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी बढ़गी तथा अनेकों कानूनी पेचदगियां उत्पन्न हो जावेगी। विवादित भूमि श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में भूमिधारी की हैसियत से से रेफरेन्स पेश करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थना–पत्र बहुत ही मजबूत आधारों पर पेश किया गया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थना–पत्र राजहक में पेश है अतः सभी प्रकार से शुल्कों से मुक्त रखने की कृपा करे। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 290 के अनुसार ग्राम कालीपहाड़ी में स्थित भूमि ख0न0 216 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड़ 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित मे दिया जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित भूमि ख0न0 216 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड 2 के मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2025–2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 70 की गैर खातेदारी सरदारा पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग मे काम आ रही है। भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड मे बंजड दर्ज है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की गैरखातेदारी अनोवदक के खाते से हटाई जाकर खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने का आदेश फरमाया जावे।

3 वकील अप्रार्थी सं0 13 आज बावजूद सूचना के बहस के दौरान उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 12 व 14 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 14 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

4 पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम कालीपहाडी की सरहद मे स्थित विवादित भूमि ख0न0 216 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड 2 जिसके पुराने भूमि खसरा नम्बर 70 रकबा 5 बीघा 1 बिश्वा है की गैर खातेदारी सरदारा पुत्र रामदयाल, जाति दरोगा, निवासी कालीपहाड़ी, तहसील व जिला झुंझुनूं सा0 देह गैर खातेदार के खाते मे दर्ज है। पत्रावली के सलंग्न [illegible] राजकीय अभिभाषक के कथनों से पुष्टि होती है कि उक्त आराजी की गै[illegible] अनावेदक के नाम रही है, वर्तमान में भी अप्रार्थीगण की गैर खा[illegible] में दर्ज रिका[illegible] ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर [illegible] समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

छाया प्रति प्रमाणित

5 अतः ग्राम कालीपहाडी तहसील व जिला झुंझुनू स्थित अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज हुई भूमि हाल ख0न0 216 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि ख0न0 216 रकबा 0.63 है0 किस्म बंजड 2 की गैर खातेदारी अप्रार्थी के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुरी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधिकारी
कलेक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:25 IST
Reason: SelfAttested